



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रशांत शर्मा- RAS

प्रार्थी  
तहसीलदार आहोर

बनाम

अप्रार्थी  
श्रीलाराम शर्मा सुमाराम शर्मा  
अमरसिंह पुत्र किशोरसिंह  
जाति राजपुत्र वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.R. Act 1956

प्रकरण सं. 76/2019


निर्णय दिनांक 15-11-19

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री उमेश कुमार पटवारी पांचोटा द्वारा जरिये तहसीलदार आहोर के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.R. Act 1956 पेश कर मौजा पांचोटा के वर्तमान ख.नं. 1182 रकबा 1.20 है. ख.नं. 1182/1523 रकबा 1.20 है. ख.नं. 1182/1524 रकबा 1.21 है. व ख.नं. 1182/1525 रकबा 1.20 है. जरिये बंटवारा के म्यूटेशन संख्या 366 दर्ज किया गया तथा उसी अनुरूप जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। इन चारों खसरा नम्बर के 2-2 ब्लॉक बन गये जबकि तत्कालिन पटवारी द्वारा म्यूटेशन में एक-एक खसरा नम्बर ही दर्ज किया गया जिस कारण से जमाबंदी में एक एक खसरा नम्बर दर्ज है तथा नक्शा में तरमीम की गई जिस कारण दो दो खेत बन गये। इस प्रकार जमाबन्दी व नक्शा में भिन्नता होने के कारण डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त प्रकरण इस न्यायालय में दुरस्ती आदेश जारी करने हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली कायम कर जरिये नोटिस संबंधित पक्षकारान् को साक्ष्य सबूत व सुने जाने हेतु तलब किया गया। संबंधित पक्षकारान् को जरिये नोटिस सूचित करने के उपरान्त भी अपना जवाब या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया इसलिए एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। पटवारी हल्का पांचोटा की रिपोर्ट अनुसार मौजा पांचोटा के वर्तमान ख.नं. 1182 रकबा 1.20 है. ख.नं. 1182/1523 रकबा 1.20 है. ख.नं. 1182/1524 रकबा 1.21 है. व ख.नं. 1182/1525 रकबा 1.20 है. जरिये बंटवारा के म्यूटेशन संख्या 366 दर्ज किया गया तथा उसी अनुरूप जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया इन चारों खसरा नम्बर के 2-2 ब्लॉक बन गये जबकि तत्कालिन पटवारी द्वारा म्यूटेशन में एक-एक खसरा नम्बर ही दर्ज किया गया जिस कारण से जमाबंदी में एक एक खसरा नम्बर दर्ज है तथा नक्शा में तरमीम की गई जिस कारण दो दो खेत बन गये। इस प्रकार जमाबन्दी व नक्शा में भिन्नता होने के कारण डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग नहीं हो पा रही है।

पटवारी हल्का पांचोटा की रिपोर्ट अनुसार नक्शा परिशिष्ट -अ अनुसार मौजा पांचोटा ख.नं. 1182 रकबा 1.



  
उपखण्ड अधिकारी  
आहोर (जालोर)


20 है. के दो खण्ड मार्क B का रकबा 0.70 है. ,खण्ड F का रकबा 0.50 है. इसी प्रकार ख.नं. 1182/1523 रकबा 1.20 है. के दो खण्ड मार्क C का रकबा 0.82 है. ,खण्ड G का रकबा 0.38 है. एवं ख.नं. 1182/1524 रकबा 1.21 है. के दो खण्ड मार्क A का रकबा 0.83 है. ,खण्ड H का रकबा 0.38 है. तथा ख. नं. 1182/1525 रकबा 1.20 है. के दो खण्ड मार्क D का रकबा 0.65 है. ,खण्ड E का रकबा 0.55 है. बनता है। इसलिए इसी अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित बताया है तथा तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त दुरस्ती करने की अनुशंसा की है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। नक्शा परिशिष्ट –अ अनुसार मौजा पांचोटा ख.नं. 1182 रकबा 1.20 है. के दो खण्ड मार्क B का रकबा 0.70 है. ,खण्ड F का रकबा 0.50 है. इसी प्रकार ख.नं. 1182/1523 रकबा 1.20 है. के दो खण्ड मार्क C का रकबा 0.82 है. ,खण्ड G का रकबा 0.38 है. एवं ख.नं. 1182/1524 रकबा 1.21 है. के दो खण्ड मार्क A का रकबा 0.83 है. ,खण्ड H का रकबा 0.38 है. तथा ख.नं. 1182/1525 रकबा 1.20 है. के दो खण्ड मार्क D का रकबा 0.65 है. ,खण्ड E का रकबा 0.55 है. दर्ज करना उचित प्रतीत होता है ताकि नक्शा व जमाबंदी में एकरूपता



### आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर नक्शा परिशिष्ट –अ अनुसार मौजा पांचोटा ख.नं. 1182 रकबा 1.20 है. के दो खण्ड मार्क B का रकबा 0.70 है. ,खण्ड F का रकबा 0.50 है. इसी प्रकार ख.नं. 1182/1323 रकबा 1.20 है. के दो खण्ड मार्क C का रकबा 0.82 है. ,खण्ड G का रकबा 0.38 है. एवं ख. नं. 1182/1324 रकबा 1.21 है. के दो खण्ड मार्क A का रकबा 0.83 है. ,खण्ड H का रकबा 0.38 है. तथा ख.नं. 1182/1325 रकबा 1.20 है. के दो खण्ड मार्क D का रकबा 0.65 है. ,खण्ड E का रकबा 0.55 है. दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आहोर को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
आहोर (जालोर)  
आहोर

